

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला**  
**जिला बैतूल**

**दांडिक प्रकरण क :- 296 / 14**  
**संस्थापन दिनांक:-05 / 04 / 05**

मध्यप्रदेश राज्य  
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,  
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि रू द्ध

देवचंद पिता धुन्नी  
 उम्र 32 वर्ष, निवासी कुकडीखापा ,  
 तह. मोहखेड़, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

.....अभियुक्त

**:- (नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 14.12.2017 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 338 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 20.02.2005 को करीब 10:30 बजे ग्राम खेडली बाजार, मोरखा रोड, पर ट्रक क्रमांक एमपी 28 बी 2377 को तेजी एवं उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त वाहन को तेजी एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर पलटाय़ा जिससे बसंत, ललित तथा लोकेश को घोर उपहति कारित की।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी बसंत अपनी मोटरसायकल से ललित एवं लोकेश के साथ दिनांक 20.02.2005 को नागदेव मंदिर पूजापाठ करने जा रहे थे। करीब 10.30 बजे जैसे ही वे लोग मोरखा रोड पर कुजबा गांव के आगे पहुंचे तभी सामने एक ट्रक चला जा रहा था, ट्रक के ड्रायवर ने फरियादी को साइड से आगे निकलने का संकेत दिया और जैसे ही फरियादी अपनी मोटर सायकल से ट्रक के साइड से आगे निकलने लगा तो ट्रक के ड्रायवर ने ट्रक रोड पर कर लिया जिससे फरियादी की मोटर सायकल को टक्कर लग गई और तीनों गिर गए। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में ट्रक क्रमांक एमपी 28 बी 2377 के चालक के विरुद्ध अपराध क्र. 34/05 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। आहतगण का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। हेमंत साहू के थाना आकर पेश करने पर ट्रक क्र. एमपी-28-बी-2377 एवं हेमंत साहू से वाहन की आरसी बुक एवं

इंश्योरेंस के जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया गया। अभियुक्त देवचंद को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। आहत लोकेश की एक्सरे रिपोर्ट में फेक्चर पाये जाने से अभियोग पत्र में धारा 338 भा.द.सं. का ईजाफा किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

#### 4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह हैं :-

1. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर ट्रेक्स क्र. एमपी-28-बी-2377 को तेजी एवं उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
2. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को तेजी एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर पलटाया जिससे बसंत, ललित तथा आहत लोकेश को घोर उपहति कारित की ?
3. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

#### ॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

##### विचारणीय प्रश्न क. 01, एवं 02 का सकारण निष्कर्ष

5 उपर्युक्त तीनों विचारणीय प्रश्न साक्ष्य के एक ही अनुक्रम से संबंधित होने से साक्ष्य दोहराव से बचने की दृष्टि से तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

6 बसंत (अ.सा.-1) , लोकेश (अ.सा.-3) तथा लल्लू उर्फ ललित (अ.सा.-5) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया कि वे घटना दिनांक को मोटर सायकल से नागदेव मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। साक्षी बसंत (अ.सा.-1) ने यह बताया कि मोटर सायकल पर पीछे से ट्रक ने टक्कर मारी जिससे उसे हाथ पैर में चोटें आई थी। लोकेश (अ.सा.-3) ने यह बताया कि ट्रक की टक्कर मोटर सायकल में लगने से मोटर सायकल में बैठे सभी लोग गिर गए थे, जिससे उसके हाथ एवं पैर में चोट आई थी। लल्लू उर्फ ललित ने यह बताया कि मोटर सायकल गिर जाने से उसे घुटने में चोट आई थी। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षीगण चोट आने के तथ्य पर पूर्णतः अखंडित हैं। उपर्युक्त साक्षीगण के कथनों से दुर्घटना में उन्हें चोट आने के तथ्य की संपुष्टि होती है।

7 प्रकरण में यह देखा जाना है कि क्या घटना दिनांक को अभियुक्त ट्रक क्रमांक एमपी 28 बी 2377 उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप आहतगण की मोटर सायकल में टक्कर लगकर उन्हें चोटें आईं। उपर्युक्त के संबंध में साक्षी बसंत साहू (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया कि घटना के समय मोटर सायकल ललित चला रहा था, तभी लगभग 11.30-12 बजे की बीच पीछे से आते एक ट्रक ने उनकी मोटर सायकल को टक्कर मार दी, जिससे वह, ललित और लोकेश बेहोश हो गए। लोकेश (अ.सा.-3) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया कि घटना के समय वह मोटर सायकल पर बैठकर नागदवे बाबा के दर्शन के लिए जा रहा था तभी खेडली मोरखा रोड पर आगे की ओर जा रहे ट्रक ने निकलने के लिए साइड दे दी, लेकिन जैसे ही वे निकलने लगे तो ट्रक वापस रोड पर आ गया जिससे मोटर सायकल में टक्कर लगने से मोटर सायकल गिर गई और उसे तथा बसंत और ललित को चोटें आईं। ट्रक कौन चला रहा था, वह नहीं देख पाया था और ना ही ट्रक का नंबर देख पाया था। लल्लू उर्फ ललित (अ.सा.-5) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया कि घटना के समय वह मोटर सायकल चला रहा था। बसंत और लोकेश पीछे बैठे हुए थे अचानक फिसल जाने या किसी अन्य कारण से मोटर सायकल गिर गई जिससे सभी को चोटें आ गई थी।

8 लोकेश (अ.सा.-3) एवं लल्लू उर्फ ललित (अ.सा.-5) ने न्यायालय द्वारा प्रति परीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर यह बताया कि उन्होंने पुलिस को कभी कोर्ट कथन नहीं दिए थे, कैसे लेख कर लिए कारण नहीं बता सकता। बसंत साहू (अ.सा.-1) ने प्रति परीक्षण में यह बताया कि उसे ट्रक का नंबर नहीं मालूम और ना ही उसने एक्सीडेंट के समय चालक को देखा था। लल्लू उर्फ ललित (अ.सा.-5) ने प्रति परीक्षण में यह बताया कि ट्रक से टकराकर कोई दुर्घटना नहीं हुई थी, फिसल जाने के कारण मोटर सायकल से गिर गए थे, जिससे दुर्घटना हुई थी।

9 ब्रजेन्द्र (अ.सा.-4) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया कि वह अभियुक्त देवचंद को जानता है। घटना के समय वह कंस्ट्रक्शन कंपनी छिन्दवाड़ा में साइड इंजीनियर का काम देखता था, जिस कंपनी में वह काम करता था, उसक कंपनी के डम्पर से एक मोटर सायकल चालक आकर टकरा गया था। यह जानकारी उसे फोन पर मिली थी। घटना के समय डम्पर का चालक देवचंद था, क्योंकि वही उस डम्पर को चलाता था। देवचंद ने उसे यह बताया था कि मोटर सायकल के चालक की गलती से एक्सीडेंट हुआ था। मोटर सायकल चालक डम्पर में आकर घुस गया था। न्यायालय द्वारा साक्षी से प्रति परीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने पुलिस को दिए गए कथनों से इंकार किया और यह बताया कि उसने पुलिस को कभी ऐसा नहीं बताया था कि डम्पर चालक अभियुक्त देवचंद की लापरवाही से एक्सीडेंट हुआ

था। प्रति परीक्षण में साक्षी ने यह बताया कि उसे सिर्फ इतना मालूम है कि मोटर सायकल चालक की गलती से एक्सीडेंट हुआ था।

10 भरत (अ.सा.-2) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया कि घटना के समय वह अपनी दुकान पर था, उसे टेलीफोन पर सूचना मिल थी कि उसके पुत्र लोकेश का एक्सीडेंट हो गया है। उसे यह बताया गया था कि ट्रक वाले ने मोटर सायकल को टक्कर मार दी है। ट्रक को कौन चला रहा था उसे यह मालूम नहीं है और ट्रक का नंबर भी उसे याद नहीं है।

11 प्रकरण में आहतगण बसंत (अ.सा.-1) लोकेश (अ.सा.-3) एवं लल्लू उर्फ ललित (अ.सा.-5) के कथनों में पर्याप्त विरोधाभास है। साक्षी बसंत ने मुख्य परीक्षण में पीछे से ट्रक की मोटर सायकल पर टक्कर लगना बताया है। लोकेश ने सामने की ओर जा रहे ट्रक से टक्कर लगना बताया है तथा साक्षी लल्लू उर्फ ललित (अ.सा.-5) जो घटना के समय मोटर सायकल चला रहा था उसने यह बताया कि मोटर सायकल फिसल जाने से या किसी अन्य कारण से मोटर सायकल से तीनो गिर गए थे। इसके अलावा प्रतिपरीक्षण में उपर्युक्त सभी साक्षीगण ने यह बताया कि घटना के समय वाहन को कौन चला रहा था और ट्रक का नंबर क्या था इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। उन्होंने अभियुक्त को ट्रक चलाते हुए नहीं देखा था। इस प्रकार स्वयं आहतगण ने अभियुक्त के द्वारा वाहन ट्रक को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाए जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किए हैं। साथ ही उपलब्ध साक्ष्य से यह भी स्थापित नहीं हुआ है कि घटना के समय मोटर सायकल को टक्कर मारने वाले ट्रक का अभियुक्त देवचंद ही चला रहा था। साथ ही साक्षीगण इस कथन पर भी स्थिर नहीं हैं कि दुर्घटना किस प्रकार हुई थी। उपर्युक्त परिस्थितियों में उपलब्ध साक्ष्य के आधार अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त देवचंद ही घटना दिनांक को वाहन ट्रक क्रमांक एमपी 28 बी 2377 चला रहा था एवं ट्रक को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर फरियादी की मोटर सायकल में टक्कर मारा आहत लोकेश, बसंत एवं ललित को घोर उपहति कारित हुई।

### **विचारणीय प्रश्न क. 03 का निराकरण**

12 उपर्युक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त देवचंद ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर वाहन ट्रक क्र. एमपी-28-बी-2377 को उपेक्षा एवं लापरवाही से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक चलाकर फरियादी की मोटर सायकल को टक्कर मार दी जिससे आहत बसंत, लोकेश एवं ललित को घोर उपहति कारित की। फलतः अभियुक्त देवचंद को भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 338(तीन काउंट में) के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

13 प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रक क्र. एमपी-28-बी-2377 राजेश अग्रवाल की ओर से मुख्तारखास श्री देवीदास, पिता एल.के. पंढरी निवासी बड़वन छिन्दवाड़ा को अस्थायी सुपुर्दनामे पर प्रदान की गयी है। अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्दनामा भारहीन हो। अपील होने की दशा में अपीलीय माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार व्ययन की जावे।

14 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

15 आरोपी द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)